जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 25.08.2023

आज दिनांक 25.08.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***श्री अखिल कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

गैंगेस्टर एक्ट में फरार 10 हजार रुपए का इनामिया अन्तर्जनपदीय अपराधी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में अपराध व अपराधियों की रोकथाम के दृष्टिगत वांछित / इनामियां अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे सघन अभियान के तहत प्रभारी एसओजी ***श्री श्रीप्रकाश यादव*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना बेलहरकला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 91/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में फरार तथा 10 हजार रु0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त नाम पता सोनू लोध पुत्र रमेश निवासी बरडाड़ थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को नौडिहवा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

सोनू लोध पुत्र रमेश निवासी बरडाड़ थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

संक्षिप्त विवरणः- अभियुक्त का एक सुसंगठित गिरोह जो कि अपने आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ हेतु गैंग बनाकर चोरी, जालसाजी व धोखाधड़ी आदि करने के अभ्यस्त अपराधी हैं। उक्त अभियुक्त के गिरोह के भय से किसी व्यक्ति द्वारा इनके विरुद्ध इनके द्वारा किए गए गलत कार्यों की सूचना व गवाही देने से डरने के दृष्टिगत थाना बेलहरकला पर गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे थे। अभियुक्त मुकदमा उपरोक्त में लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसकी अविलंब गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिनांक 03.07.2023 को 10,000रुपये के पुरस्कार की घोषणा की गई थी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी एसओजी श्री श्रीप्रकाश यादव, हे0कां0 बृजकिशोर गुप्ता, कां0 सर्वेश मिश्रा, कां0 दीपक सिंह, कां0 अरविन्द यादव।

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी मेहदावल **श्री अम्बरीष सिंह भदौरिया** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 346/2023 धारा 363 / 366 / 120(बी) भा0द0वि0 व 16 / 17 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता सोनू पुत्र गरजन निवासी तुलसीपुर थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 14.08.2023 को वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 19.08.2023 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेहदावल पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 25.08.2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री भीमसेन सिंह मय हमराह।

फरार चल रहे वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत 06 नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत 06 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, विवरण निम्नवत हैः-

***थाना दुधारा पुलिस** द्वारा* 05 नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता 1-रमेश पुत्र रामनाथ निवासी रसूलपुर थाना दुधारा, 2-दीपक पुत्र छांगुर निवासी कविता थाना दुधारा, 3- नन्दलाल पुत्र पंचम निवासी छपिया माफी थाना दुधारा, 4-अशोक कुमार पुत्र उदयराज निवासी छपिया माफी थाना दुधारा, 5- मेवालाल पुत्र स्व0 रामलाल निवासी सैंथवलिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह, उ0नि0 श्री सत्येन्द्र यादव, उ0नि0 श्री शम्भूराम, उ0नि0 श्री वशिष्ठ नारायण श्रीवास्तव, हे0कां0 हरिनारायण प्रसाद, हे0कां0 कामेश्वर सिंह, हे0कां0 चन्द्रप्रकाश, कां0 सतवन्त सिंह, कां0 विवेक कुमार, कां0 मनीष प्रसाद, कां0 विशाल सिंह, कां0 अनूप यादव।

***थाना धनघटा पुलिस** द्वारा* 01 नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता मदन उर्फ पुल्लु पुत्र रामपट केवट निवासी माझा चहोड़ा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विरेन्द्र मिश्रा, कां0 लवकेश यादव।

पीआरवी आफ द डे

***पीआरवी 1493 द्वारा दो पक्षों के विवाद को कराया गया शांत व विवाद में घायल 03 लोगों को भेजवाया गया अस्पताल*–** पीआरवी 1493 को थाना बखिरा क्षेत्रान्तर्गत रामपुर बिहारे से इवेन्ट संख्या 11295 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से 03 लोगों के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर विवाद को शांत कराकर विवाद में घायल लोगों को इलाज हेतु जरिए एंबुलेंश से अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर विवाद में घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 संतोष कुमार यादव, आ0 अक्षय राय, आ0चा0 विश्वग्रहण।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 90 वाहनों से 89,000 रु0 सम्मन शुल्क का चालान किया गया

आज दिनांक 25.08.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 90 वाहनों से 89,000 रु0 सम्मन शुल्क का चालान किया।